<u>न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल केम्प, भोपाल</u>

निगरानी प्रकरण क्रमांक ....

नि - 7041 - PBR-16

मेसर्स सेउमल चेतनदास द्वारा
श्री परमानंद आत्मज स्व. श्री चेतनदास
व्यवसायिक पता मकान नम्बर 29,
हमीदिया रोड, भोपाल ------------ आवेदक।

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
   द्वारा उपपंजीयक भोपाल।
2. श्री सरदार जशंबीर सिंह, आयु वयस्क
   आत्मज स्व. सरदार महेन्द्र सिंह
3. श्री सुंरजीत सिंह, आयु वयस्क
   आत्मज स्व. सरदार महेन्द्र सिंह
4. श्रीमति हरवंश कौर, आयु वयस्क
   पत्नी स्व. सरदार महेन्द्र सिंह
   सभी निवासीगण- मकान नम्बर 29,
   हमीदिया रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश --------- अनावेदकगण

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 56 भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम</u>

आवेदक द्वारा वर्तमान निगरानी अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस जिला पंजीयक भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 71/बी-103/2014-15/धारा 33 (मेसर्स सेउमल चेतनदास विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 09/03/2016 से व्यथीत होकर वर्तमान निगरानी विधिवत् समयावधि में निम्नलिखित ठोस वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 7041–पीबीआर/2016 **जिला भोपाल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–05–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 9–3–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके आदेश दिनांक 12–10–2015 के पुनर्विलोकन संबंधी आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई भी अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में पुनर्विलोकन का प्रावधान नहीं है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	